

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/ए-2-7/रेणु सहदेव/2017 दिनांक 21.12.2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा रिट याचिका संख्या-8123/2017 के निर्णयाधीन श्रीमती रेणु सहदेव को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़ कार्यालय में आदेशों की प्रतिक्षा में किया गया था।

अवमानना वाद संख्या-1212/2017 रेणु सहदेव बनाम सरकार के अन्तर्गत श्रीमती रेणु सहदेव के मार्च, 2017 से वेतन दिलवाने की मांग के परिपेक्ष्य में श्रीमती रेणु सहदेव, प्रधानाचार्य का पदस्थापन राउमादि 15-ए, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

सम्बन्धित कार्मिक तत्काल शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 03.04.18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/रेणु सहदेव/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, माशि (विधि) जयपुर।
05. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. सम्बन्धित संस्था प्रधान/संबन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर